

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 01.11.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना को0 मनकापुर नगर पुलिस ने 01, थाना तरबगंज पुलिस ने 01, थाना करनैलगंज पुलिस ने 01 व थाना कटरा बाजार पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 01.11.2022

जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 03 अभियुक्त

गिरफ्तार, 30 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने थाना क्षेत्र में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे 20 लीटर कच्ची बरामद व शराब बनाने के उपकरण, थाना वजीरगंज पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.11.2022

24 घंटे के अंदर दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त हरिओम गोस्वामी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की की मां द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. हरिओम गोस्वामी पुत्र स्वर्गीय बलराम गोस्वामी निवासी खडौवा लाला पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-322/2022 धारा 363,376 आईपीसी 3/4 पाक्सो एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

प्र०नि० छपिया प्रमोद कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.11.2022

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त सलमान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 250 टैबलेट नशीली गोलियाँ (अल्प्राजोलम) बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सलमान पुत्र अजीज अहमद निवासी ग्राम ददुआ बाजार बरियार पुरवा थाना को० नगर जनपद गोंडा जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-514/22, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 250 नशीली गोलियाँ (अल्प्राजोलम टैबलेट)

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० विनय कुमार पाण्डेय मय टीमा